

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

आज दि० ०३/०९/१५.....को ग्राम पंचायत तोंगा.....की आम खुली बैठक में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष आहूत की गयी जिसमें बौगा से ~~बन्याणगाव~~ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु समरेखण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० भटवाडी उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरेखण किया गया है, उक्त समरेखण को सर्वसहमति व बहुमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरेखण से सहमत हैं कि ग्राम पंचायत की सिविल संयम वन भूमि, नाप भूमि, ग्राम पंचायत भूमि तथा आरक्षित वन भूमि को सर्व सहमति से मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को सहमत है, क्योंकि इसमें न्यूनतम वृक्षों की क्षति होगी।

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक ०१ में प्रस्ताव सं० ०१/०१/०१ के रूप में दर्ज किया गया है।

(Handwritten signature and stamp)

Pradhan
प्रधान
ग्राम पंचायत- तोंगा
विकास खण्ड - भटवाडी
जन्मपद - उत्तरकाशी

सदस्य सरोज
ग्राम पंचायत - कोटियालगांव
कि०ख० - भटवाडी, जि० उत्तरकाशी

ग्राम वासियों के हस्ताक्षर निम्नवत है :-

क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
०१	गिरि	गिरि सिंह महर	०९	आरती महर	Anahar
०२	भरत सिंह शर्मा	Bharat	१०	श्रीकलम सिंह	Kalam Singh
०३	रवि सिंह	Ravi	११	विलपती	Vilpati
०४	अरविन्द महर	Arvind	१२	सम्पति महर	Sampati
०५	बिमल महर	Bimal	१३	जय सिंह	Jai Singh
०६	प्रताप सिंह महर	Pratap	१४	विक्रम महर	Vikram
०७	बीजा देवी	Beja Devi	१५	श्रीधर महर	Shrihar
०८	सोनाम	Sonam	१६	कविता महर	Kavita

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature and stamp)

-सदस्य-

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

क्र. सं.	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	कम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
37	रमेश सिंह महर	रमेश सिंह	37	अमित रावत	<u>Amit</u>
38	सुरेश सिंह महर	सुरेश	38	चमन सिंह महर	चमन
39	शकेश सिंह महर	Rakesh	29	अदन सिंह महर	<u>Adan</u>
40	कुलाली देवी	कुलाली	40	अनिल महर	अनिल
41	कृष्णा देवी	कृष्णा	41	लक्ष्मी देवी	<u>Laxmi</u>
42	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी	42	गोविन्द	<u>Govind</u>
43	गोकुल देवी चौहान	गोकुल देवी	43	रोशन	<u>Roshan</u>
44	पूजा	पूजा	44	विष्णु महर	<u>Visnu</u>
45	पूनम	Poonam	45	भगवती महर	<u>Bhagwati</u>
46	कालिका	Kalika	46	सतोष चौधरी	<u>Satish</u>
47	दीपा	Deepa	47	सुभाष	<u>Sushab</u>
48	श्रीमती सुननी देवी	सुननी	48	वीर सिंह	<u>Vir</u>
49	सुकता देवी	सुकता	49	<u>May</u>	
50	बिन्दू देवी	बिन्दू	50	मंगल सिंह महर	<u>Mangal</u>
51	अमित रावत	Amit	51	सुरेश प्रसाद	<u>Suresh</u>
52	प्रीती रावत	Preeti	52	बलवंत सिंह	<u>Balwant</u>
53	साक्षी रावत	साक्षी रावत	53	बलानन्द	<u>Balanand</u>
54	राधिका देवी	राधिका	54	सत्येंद्र रावत	<u>Satyendra</u>
55	जयलक्ष्मी देवी	जयलक्ष्मी	55	सुभाष महर	<u>Sushab</u>
56	सुमिल देवी	सुमिल	56	पुनम देवी	<u>Punam</u>
57	जयलक्ष्मी देवी	जयलक्ष्मी			
	सुरेश सिंह महर	सुरेश			

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- शा. मु. मंत्री जी के छोड़ना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय
के विकास खास शब्दाई से वीगा से क्याठा जांव तक मोटर मार्ग का
निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, शब्दाई

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, शब्दाई

उपखण्ड शब्दाई परिक्षेत्र के अन्तर्गत वीगा से क्याठा जांव तक मोटर मार्ग

वनों (—हे० आरक्षित वन भूमि 0-585 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0-165 हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1-350— हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील शब्दाई) की दिनांक _____ को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1- | श्री <u>हरि शर्मा</u> | उपजिलाधिकारी | <u>शब्दाई</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>राज बहादुर</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>शब्दाई</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>बिनाय सिंघानिया</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>शब्दाई</u> | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री <u>सरोज</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>कोटि पाल गांव</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि





परियोजना हेतु 1350 हे० वन

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
वनों का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु जनपद स्तरीय की अनुमति की गई है।


उपखण्ड स्तरीय वन पंचायत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

कार्यालय उप जिलाधिकारी...भरवाडी
 उप खण्ड स्तरीय समिति...भरवाडी


आज दिनांक...27/11/2015... को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड...भरवाडी
 में द्वीजा से क्यादा गाव मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 1:350... है०
 के सम्बन्ध में वन अधिनियम-2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी
 समिति की बैठक उप जिलाधिकारी...भरवाडी की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की
 उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1-	<u>श्री हरि गिरी</u>	उप जिलाधिकारी... <u>भरवाडी</u>	
2-	<u>श्री राज लाल</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी... <u>भरवाडी</u>	
3-	<u>श्री किशन सिंह चौधरी</u>	सहायक समाज कल्या अधिकारी... <u>भरवाडी</u>	
4-	<u>श्री अशोक</u>	बी०डी०सी०क्षे. पंचायत सदस्य... <u>भरवाडी</u>	

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अटवाही परिक्षेत्र के अन्तर्गत
 परियोजना के निर्माण हेतु ...1.350,.
 हे0 वन भूमि 1.496 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
 प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


 उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- अटवाही
 जनपद हतरवाही

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- अटवाही
 जनपद हतरवाही

Annexure-1

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi.

Name of Project:- Motor Road Construction of Bigradi to Kanda.

No... 92/15.....

Dated... 2-12-2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.350** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Bhatwari** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Bonga** village in **Bhatwari** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.350** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure **23 to 23.2** annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

(G. S. Rawat)
District Magistrate,

Uttarkashi.

उत्तरकाशी

ANNEXURE

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. G.S.Rawat District Magistrate Uttarkashi on date 02-12-2015 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 1.350 hect for **Construction of Bonga to Kyaangaun Motor Road** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhatwari sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated:..2-12-15


District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi.

It is certified that- Minutes of meeting of **Bonga to Kyaangaun** motor road Regarding FRA is as following:-

Sr.no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 1.350 Het. of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right Committee (s), Gram Sabha (s), sub division level committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerns villages regarding construction of aforesaid Motor road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

(G.S. Rawat)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
 Uttarakhand
 देवढाबा